न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 084/2014

1. सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. रणजीत पुत्र बद्रीराम जाति जाट साकिन मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 11.06.2018

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी के नाम चक 11 एफ बड़ा के खाता संख्या 57 के मुरब्बा नम्बर 28, 29 की कुल 3.886 हैक्टर भूमि खातेदार के नाम से एकल खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

उक्त खातेदारी भूमि चक 11 एफ बड़ा के खाता संख्या 57 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 6 में 30X54 नहरी रकबे का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर दुकानें बना कर अकृषि कार्य में किया जा रहा है,

उक्त वर्णित आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्ष्म अधिकारी से सम्परिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है।

उक्त वर्णित रकबा चक 11 एफ बड़ा के खाता संख्या 57 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 6 में 30X54 नहरी रकबा के सम्बंध में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये अकृषि उपयोग में किया जा रहा है। जो कानून की अवहेलना हैं, उक्त वर्णित रकबा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश फरमाये जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये परन्तु जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रकरण में न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 में ग्राम पंचायत मिर्जेवाला में आयोजित राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत के दौरान विवादीत आराजी के सम्बंध में हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर विवादित आराजी का भौतिक निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया के प्रतिवादीगण द्वारा विवादीत आराजी पर मौके पर दुकान आदि बनाई जाकर अकृषि कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है। ना ही प्रार्थी द्वारा उक्त विवादीत आराजी के सन्दर्भ में भू. रूपान्तरण आदेश प्रस्तुत किया गया है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अतः विवादीत आराजी पर बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के गैर कृषि कार्य किये जानें के कारण वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 11 एफ बड़ा के खाता संख्या 57 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 6 में 30X54 हैक्टर नहरी भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की किया जाता है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिंनाक 11.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मिर्जेवाला में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर